

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 29/2006

दायर दिनांक 29.03.2006

वादी

1. रामनिवास पुत्र पाबुदान (फौत)
- 1/1 घनश्याम पुत्र स्व0 रामनिवास
- 1/2 पुखराज पुत्र स्व0 रामनिवास
- 1/3 सम्पत देवी पुत्री स्व0
रामनिवास
- 1/4 मुन्नीदेवी पुत्री स्व0 रामनिवास
- 1/5 शारदा पुत्री स्व0 रामनिवास
पत्नी सुरेन्द्र कुमार
- 1/6 सन्तोष पुत्री स्व0 रामनिवास
पत्नी प्रकाश समस्त जाति
ब्राह्मण निवासीगण खाटु खुर्द
तहसील छोटी खाटू जिला
डीडवाना-कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. मूलचन्द पुत्र पाबुदीन
2. भंवरलाल पुत्र रामनिवास समस्त जाति ब्राह्मण
निवासीगण खाटू खुर्द तहसील छोटी खाटू
जिला डीडवाना-कुचामन राज0
3. तहसीलदार छोटी खाटू
4. केसर देवी पत्नी निर्भय राम जाति माली
5. जशोदा देवी पत्नी पुखराज जाति ब्राह्मण
6. लिछमणराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
निवासीगण छोटी खाटू तहसील छोटी खाटू
जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 25.10.2024

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वादीगण व प्रतिवादी मूलचन्द की पैत्रिक सम्पति तथा खातेदारी व कब्जा काश्त के वाकै सरहद खाटू खुर्द खेत खसरा सं0 794 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 801 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 1345 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा सं0 1357 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 40 बीघा 04 बिस्वा थे। जिनमें से वी स्व0 रामनिवास व प्रतिवादी मूलचन्द ने जरिय दान-पत्र दिनांक 30.01.2006 को प्रतिवादी भंवरलाल को खेत खसरा सं0 794 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा सं0 1357 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा में से 06 बीघा कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा दे दी। वर्तमान खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा दान पत्र की छाया प्रति वाद के साथ पेश है।

यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में 1/2-1/2 हिस्सा निहित है, तथा मौके पर भी इसी अनुरूप कार्रुत करते आये हैं। वादीगण खसरा सं0 801 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 1357 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा में से 06 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा सं0 1345 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा में से 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर सुविधा के अनुरार काश्त करता आया है। मगर अभी तक वादग्रस्त खेताय का विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। काश्त के समय सीमा बाबत विवाद रहता है तथा राज्य सरकार से अपने हिस्से पर लोन लेने में भी असुविधा रहती है। इसलिए वादीगण को विधिवत बंटवाड़ा का दावा करना लाजमी आया है।

यह है कि वाकै सरहद खाटू खुर्द गत खसरा सं0 794 रकबा 06 बिस्वा वर्तमान खसरा सं0 877 रकबा 1.0800 हैक्टे0 गत खसरा सं0 801 रकबा 03 बीघा 03 बीघा 06 बिस्वा वर्तमान खसरा सं0 747 रकबा 0.5400 हैक्टे0, गत खसरा सं0 1345 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान खसरा सं0 1179 रकबा 2.9100 हैक्टे0, गत खसरा सं0 1357 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा वर्तमान खसरा सं0 1192 रकबा 2.000 हैक्टे0 है। वर्तमान खसरा सं0 877 रकबा 1.0800 हैक्टे0 में से 1/2 हिस्सा घनश्याम लाल ने अपना हिस्सा प्रतिवादी लिछमणराम को बैचाण कर दिया एवं वर्तमान खसरा सं0 747 रकबा 0.5400 हैक्टे0 में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीनी केसरी देवी तथा वर्तमान खसरा सं0 1192 रकबा 2.0000 हैक्टे0 में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी जसोदा देवी को वादी रामनिवास ने अपने जीवनकाल में ही बैचाण कर दी तथा जिनके नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो गया है। पक्षकारान अपने सुविधा के अनुसार आज दिन मौके पर अपने-अपने हिस्सो पर काबिज है। वादीगण व प्रतिवादी भंवरलाल के खेत खसरा सं0 747 रकबा 0.5400 हैक्टे0 में से 1/2 हिस्सा यानि 01 बीघा 18 बिस्वा, खेत खसरा सं0 1357 नया खसरा सं0 1192 रकबा 2.0000 हैक्टे0 में से

inkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



1/2 यानि 06 बीघा 04 बिस्वा भूमि, खसरा सं० 794 नया खसरा सं० 877 रकबा 1.0800 हैक्टे० में से 1/2 हिस्सा यानि 03 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा भूमि बंट कब्जे-काश्त खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी मूलचन्द के खेत खसरा सं० गत 1345 वर्तमान खसरा सं० 1179 रकबा 2.9100 हैक्टे० सम्पूर्ण बंट, काश्त व खातेदारी में रहेगा। अन्य खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड में यथावत रहेगा। उक्त वाद बंटवाड़ा बाबत है तथा विक्रय में रामनिवास ने अपने हिस्से की खातेदारी की भूमि बाबत ही किया है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:-

यह है कि वाकै सरहद खाटू खुर्द गत खसरा सं० 794 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 877 रकबा 1.0800 हैक्टे० गत खसरा सं० 801 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 747 रका 0.5400 हैक्टे०, गत खसरा सं० 1179 रकबा 2.9100 हैक्टे० व गत खसरा सं० 1357 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 1192 रकबा 2.000 हैक्टे० का उपरोक्तानुसार विधिवत बंटवारा कर अलग-अलग खातेदारी स्व० रामनिवास के वारिसान के नाम घोषित किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी के वारिसान एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा दिनांक 25.06.2024 को पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण सं० 1, 2, 4, 5, 6 का इकबालिया जवाब पेश हुआ। साक्ष्य में घनश्याम पुत्र रामनिवास का शपथ-पत्र पेश हुआ। शेष प्रतिवादी तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तथा राजीनामा अनुरूप दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद व राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया ग्राम खाटू खुर्द के गत खसरा सं० 794 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 877 रकबा 1.0800 हैक्टे० गत खसरा सं० 801 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 747 रका 0.5400 हैक्टे०, गत खसरा सं० 1179 रकबा 2.9100 हैक्टे० व गत खसरा सं० 1357 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 1192 रकबा 2.000 हैक्टे० भूमि में राजीनामानुसार बंटवाड़ा करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। प्रतिवादीगण ने बाहमी बन्टवारा की पुष्टि में राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रश्नगत भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सं० 1, 2, 4, 5, 6 सहखातेदार हैं। सहखातेदार होने के कारण वादी बन्टवारा करवाने का कानूनन अधिकारी है। शेष प्रतिवादीगण को वाद स्वीकार है।

अतः वादी व प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

--: आदेश :-

दावा डिक्री सादिर कर ग्राम खाटू खुर्द के गत खसरा सं० 794 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 877 रकबा 1.0800 हैक्टे० गत खसरा सं० 801 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 747 रका 0.5400 हैक्टे०, गत खसरा सं० 1179 रकबा 2.9100 हैक्टे० व गत खसरा सं० 1357 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 1192 रकबा 2.000 हैक्टे० भूमि में राजीनामानुसार वादी के वारिसान, प्रतिवादी भंवरलाल व प्रतिवादीगण सं० 1, 4, 5, 6 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा दिनांक 25.06.2024 निर्णय व डिक्री का भाग होगा। तदनुसार रेकर्ड दुरुस्त हो।

inias
(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

inias
(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 29/2006 दायर दिनांक 29.03.2006

- वादी
1. रामनिवास पुत्र पाबुदान (फौत)
 - 1/1 घनश्याम पुत्र स्व० रामनिवासं
 - 1/2 पुखराज पुत्र स्व० रामनिवास
 - 1/3 सम्पत देवी पुत्री स्व० रामनिवास
 - 1/4 मुन्नीदेवी पुत्री स्व० रामनिवास 1/5 शारदा पुत्री स्व० रामनिवास पत्नी सुरेन्द्र कुमार
 - 1/6 सन्तोष पुत्री स्व० रामनिवास पत्नी प्रकाश समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण खाटू खुर्द तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना-कुचामन राज०।

बनाम्

- प्रतिवादी
1. मूलचन्द पुत्र पाबुदीन
 2. भंवरलाल पुत्र रामनिवास समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण खाटू खुर्द तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना-कुचामन राज०
 3. तहसीलदार छोटी खाटू
 4. केसर देवी पत्नी निर्भय राम जाति माली
 5. जशोदा देवी पत्नी पुखराज जाति ब्राह्मण
 6. लिछमणराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासीगण छोटी खाटू तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना-कुचामन राज०।

दावा बाबत
रास्ता तरमीम, घोषणा खातेदारी
रेकर्ड दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 25.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री अजीत सिंह राठौड़ की आरे से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर दावा डिक्री सादिर कर ग्राम खाटू खुर्द के गत खसरा सं० 794 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 877 रकबा 1.0800 हैक्टे० गत खसरा सं० 801 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 747 रकबा 0.5400 हैक्टे०, गत खसरा सं० 1179 रकबा 2.9100 हैक्टे० व गत खसरा सं० 1357 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा वर्तमान खसरा सं० 1192 रकबा 2.000 हैक्टे० भूमि में राजीनामानुसार वादी के वारिसान, प्रतिवादी भंवरलाल व प्रतिवादीगण सं० 1, 4, 5, 6 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा दिनांक 25.06.2024 निर्णय व डिक्री का भाग होगा। तदनुसार रेकर्ड दुरुस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबा मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.10.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	—	—
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

inkas
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना